जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक 23.06.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 209/2025 धारा 108 बीएनएस व 3(2)5 एसटी/एससी एक्ट में वांछित अभियुक्त संदीप गुप्ता पुत्र रामबृक्ष गुप्ता निवासी कोदवट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को शनिचरा तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी के भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । घटना में संलिप्तता के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 23.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्रा, हे0का0 जुबेर अली।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय के नेतृत्व में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 231/2025 धारा 65(1)/351(3)/78(1)(ii) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट तथा 67 आईटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त हरेन्द्र पाल पुत्र शिवदास साकिन चकमहुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को ग्राम चकमहुआ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 21.06.2025 को थाना महुली पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने व अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही कर करते हुए आज दिनांक 23.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय, का0 विकाश गौड।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 305/2025 धारा 87,137(2), 64(1), 75,352,351(3) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त विनय कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी भाटपार अहारा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम चकमहुआ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 20.06.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर करते हुए आज दिनांक 23.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0 थाना धनघटा श्री रामकृष्ण मिश्र, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 सोनू कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा आटो व कार के टक्कर होने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत मुखलिसपुर रोड मैनसिर चौराहा से कालर द्वारा आटो व कार के टक्कर जिसमें आटो सवार घायल 01 व्यक्ति (1.संतोष पुत्र विधुर ग्राम सांड़ा जनपद अम्बेडकरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* का0** अंगद यादव**, हो०चा0** राजेश कुमार**।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 157 वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 23.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 157 वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।